वृद्धिशील आस्तियों के सृजन हेतु बैंकों को वित्तीय सहाता –
सूक्ष्म, लघु उद्यम एवं मध्यम उद्यम
(फाबिया – एमएसएमई)

क्रम सं	विवरण	विस्तृत ब्यौरे
1	योजना	वृद्धिशील आस्तियों के सृजन हेतु बैंकों को वित्तीय सहायता – सूक्ष्म, लघु उद्यम एवं मध्यम उद्यम (फाबिया – एमएसएमई)
2	योजना का लक्ष्य	बैंकों के संसाधनों की अभिवृद्धि सुनिश्चित करते हुए एमएसएमई क्षेत्र में ऋण-प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करना
3	पात्र प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ	❖ अनुसूचित बैंक (सार्वजनिक /निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक)। ❖ वित्तीय सहायता संबंधित ऋणदात्री संस्था के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उधार लेने की सीमा /शक्ति के भीतर होगी।
4	योजना का उद्देश्य	❖ सिडबी द्वारा बैंकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नए ऋणों और अग्रिमों के उद्देश्य से आगे उधार देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ❖ बैंक द्वारा इस सहायता का उपयोग एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान कर वृद्धिशील आस्तियों के सृजन के लिए किया जाएगा।
5	पात्र अंतर्निहित आस्तियां /अंतिम-उधारकर्ता	❖ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 तथा समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधानों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा का अनुपालन करने वाले एमएसएमई उद्यम ❖ "सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 2 (एच) में परिभाषित लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठानों" से संबंधित गतिविधियां। ❖ गैर-कृषि आय उपार्जन गतिविधियों के अंतर्गत सूक्ष्म वित्त गतिविधियों /वित्तीय उद्यम वित्तपोषण से संबंधित ऋण और अग्रिम। नोट: यह स्पष्ट किया जाता है कि एमएसएमई इकाइयां जो थोक /खुदरा व्यापार, में संलग्न हैं या परिचालनरत शैक्षिक संस्थानों की भी पात्रता होंगी ।
6	पात्र गतिविधियाँ	❖ एमएसएमई क्षेत्र के अंतिम उधारकर्ताओं के संविभाग के समतुल्य की धनराशि के सृजन की अपेक्षा है, जिसे इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए बैंक भविष्य में सिडबी से वित्तीय सहायता सहित किसी भी संस्थान से किसी भी रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। ❖ सहायता सिडबी द्वारा प्रत्येक बैंक के लिए निर्धारित जोखिम ऋण-सीमा के अधीन होगी।
7	सहायता की अवधि	सामान्यतया 3-5 वर्षों तक
8	ब्याज दर / वाणिज्यिक शर्तें	❖ बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपफ्रंट शुल्क सहित ब्याज दर तथा अन्य वाणिज्यिक शर्तें विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

		❖ सामान्य करार के अनुसार मूलधन, ब्याज और अन्य धनराशियों की किस्तों के भुगतान में चूक के लिए प्रयोज्य उधार दर के ऊपर 2% प्रति वर्ष का दंड स्वरूप प्रभार लगाया जाएगा।
9	प्रतिभूति	बैंक द्वारा सभी प्रतिभूतियों को सिडबी की ओर से एक न्यासी के रूप में रखा जाएगा। इन प्रतिभूतियों में चल और अचल संपत्ति, बही ऋण, प्राप्य राशियाँ, कार्रवाई योग्य दावे, गारंटी, समनुदेशन, विनिमय विपत्र और उनकी प्राप्तियाँ तथा बैंक द्वारा अपने उधारकर्ताओं से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गईं अथवा की जाने वाली अन्य सभी प्रतिभूतियाँ भी शामिल होंगी; जिन्हें बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और जिसके प्रतिस्वरूप बैंक को सिडबी की ओर से ऋण मंजूर किया गया है। बैंक से जब भी अपेक्षा की जाए वह सभी प्रयोज्य कानूनों के अधीन सिडबी को ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा व उसके द्वारा प्राप्त सभी प्रतिभूति दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा जो उक्त योजना के तहत शामिल किए गए ऋण की प्रतिभूति के रूप में संरक्षित हैं।
10	आवेदन व सहायता का आहरण	बैंक निर्धारित प्ररूप में आवेदन और प्रमाणपत्र सिडबी को प्रस्तुत करेगा।
11	मंजूरी	वित्तीय सहायता के अनुमोदन के उपरांत, आवेदक बैंक को आशय पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें मंजूरी की विस्तृत शर्तें उल्लिखित होंगी।
12	प्रलेखन	**A) <u>एक बार</u>** ❖ बैंक और सिडबी के बीच एक सामान्य समझौता निष्पादित किया जाएगा। ❖ बैंक द्वारा भा. रि. बैं./ प्रतिनिधि बैंक के साथ अपने चालू खाते को नामे करने हेतु उन्हें संबोधित प्राधिकार-पत्र निष्पादित किया जाएगा। भा. रि. बैं./ प्रतिनिधि बैंक द्वारा प्राधिकार-पत्र की विधिवत रूप से अभिस्वीकृति की जाएगी। **B) <u>प्रत्येक बार</u>** ❖ मुख्तारनामा / प्रयोज्य बोर्ड संकल्प /प्राधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ अपेक्षित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के अधिकृत पदाधिकारी द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति। ❖ बैंक की ओर से अपेक्षित प्रलेखों का निष्पादन करने वाले अधिकृत अधिकारियों के केवाईसी दस्तावेज, बोर्ड के संकल्प /शक्तियों का प्रत्यायोजन /प्राधिकार-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।
13	संवितरण	❖ एक सहमत समय सीमा के भीतर एमएसएमई के पात्र संविभाग तैयार करने और अंतिम उपयोग की पुष्टि करने के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत घोषणा /प्रतिबद्धता के आधार पर संवितरण के लिए विचार किया जाएगा। ❖ ऋण की अवधि के आधार पर 3 - 6 महीने की समय-सीमा पर विचार किया जाएगा। ❖ तथापि, यदि प्रतिनिधि बैंक निर्धारित समय सीमा के भीतर पात्र संविभाग का सृजन नहीं कर पाता तो, वह बकाया अवधि के लिए ब्याज के ऊपर 2% के

		दंडात्मक ब्याज के साथ, पूर्व से संवितरित ऋण राशि को तत्काल वापस कर देगा।
14	अंतिम-उधारकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने की समय सीमा	बैंक संवितरण के समय या अनुमत समयावधि के भीतर अंतिम उधारकर्ताओं की सूची निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत करेगा। यदि बैंक मंजूरी की शर्तों के अनुसार अंतिम-उधारकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो परवर्ती प्रभाव से संबंधित ब्यौरे प्राप्त होने की तारीख तक प्रयोज्य कर की राशि सहित 0.50% का दांडिक ब्याज लगाया जाएगा। मासिक अंतराल पर बैंक से शुल्क लिया जाएगा। यदि संवितरण की तारीख से 3 महीने के पश्चात् भी व्यौरे प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो, सिडबी को बकाए ऋण की वापसी का अधिकार होगा। ऋण वापसी नहीं होने की स्थिति में ब्यौरे प्रस्तुत करने तक दांडिक ब्याज भारित किया जाता रहेगा।
15	समय पूर्व चुकौती	उधारकर्ता बैंक सिडबी से लिखित रूप में प्राप्त पूर्वानुमोदन के अतिरिक्त, देय तिथियों से पूर्व बकाया - ऋण की मूल राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्व भुगतान नहीं करेगा, जिसकी शर्तें सिडबी द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। इन शर्तों में पूर्व भुगतान शुल्क का भारित किया जाना भी शामिल होगा।

नोट: अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा